

उनवानी प्रकरण:- सरकार बनाम मनमोहन पुत्र गोपीबल्लभ


मु.न.:- 92/2025

कि0मु0:- प्रार्थना पत्र

धारा 136 एल.आर. एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय निशियल्स जज	नम्बर व तारीख
18.12.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मनमोहन पुत्र गोपीबल्लभ जाति ब्राह्मण निवासी बालेर के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थी ग्राम बालेर के सम्बत् 2075-2078 के खाता संख्या 10 द्वारा रिकार्डेड खातेदार काश्त कार है जिसमें प्रार्थी का नाम पप्पु पुत्र गोपीबल्लभ के स्थान पर सही नाम मनमोहन पुत्र गोपीबल्लभ शुद्ध किये जाने का निवेदन किया गया। जिसकी जांच तहसीलदार खण्डार द्वारा करवाये जाने पर तहसीलदार खण्डार से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम मनमोहन पुत्र गोपीबल्लभ है जिसे दुरुस्त किये जाने की अभिशंषा की गई।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थी का सही नाम मनमोहन पुत्र गोपीबल्लभ होना अंकित है।</p> <p>प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बालेर के सम्बत् 2075-2078 के खाता संख्या 10 में पप्पु पुत्र गोपीबल्लभ के स्थान पर सही नाम मनमोहन पुत्र गोपीबल्लभ शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	



  
उपखण्ड अधिकारी  
खण्डार (सवाई माचोपुर)

